




XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1263-तीन/03

क्रि 1763-III/03

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8-15 कैम्प जबलपुर	<p>यह प्रकरण दिनांक 23-10-03 को इस न्यायालय में दायर हुआ है तब से लेकर आज तक आवेदक की ओर से कई बार सूचना देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । प्रकरण आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
1-9-15 	<p>प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल केम्ब जबलपुर ॥ १० ५०॥

रिवीजन क्रमांक :- R-1763-III/03

R-1763-III/03

श्रीमान् आत्मज श्री बेनी प्रसाद बांगर
कोषटा
उम्र लगभग 73 वर्ष
निवासी 255
संजीवनी नगर गढ़ा, जबलपुर ॥ १० ५० ॥
24/11/03

आवेदक/रिवीजनकर्ता :- काशीराम आत्मज श्री बेनी प्रसाद बांगर

॥ कोषटा ॥ उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी 255

संजीवनी नगर गढ़ा, जबलपुर ॥ १० ५० ॥

: बनाम :

उत्तरार्थी :- परमलाल आत्मज नर्मदा प्रसाद कोषटा

उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी-ग्राम कुगवां,

तहसील व जिला जबलपुर ॥ १० ५० ॥

रिवीजन अंतर्गत 50॥1॥ १० ५० भू-राजस्व संहिता 1959.

आवेदक/रिवीजनकर्ता, यह रिवीजन न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 25-अ-70/2003-2004 काशीराम बांगर ॥ कोषटा विरुद्ध परम लाल कोषटा में पारित आदेश दिनांक 23-10-2003 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

: रिवीजन के तथ्य :

1- यह कि आवेदक की पैतृक कृषि योग्य भूमि ग्राम कुगवां नं० बं० 499, प० ह० नं० 34, ख० नं० 55 पुराना, नया ख० नं० 100 में कुल रकबा -0.073 है, है जिसमें उसका कृषि योग्य भूमि के कुछ भाग में एक मकान जिसे अटारिया से संबोधित किया जाता है ।

2- यह कि आवेदक शास्कीय सेवक था एवं संजीवनी नगर में निवास करता है । शास्कीय सेवक एवं अपने परिवार